

डाफ्ट नम्बर 4884  
दिनांक 01/10/18

उपरोक्त संख्या 657 / मु0अ0 (सू0प्र0स0)  
दिनांक 23/9/18

प्राधिकृत संख्या-1136/2018-19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(आय-व्ययक अनुभाग)  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या- जी-519/आई0बी0/108बी-22/अनु0-94/पूँजीगत/आगत/2018-19  
कार्यालय ज्ञाप

लखनऊ दिनांक सितम्बर 24, 2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-196/2018/1982/18-27-सि0-4-59(डब्ल्यू)परि0/2016 दिनांक-12.09.2018 द्वारा जनपद आगरा की किरावली तहसील में निर्मित विभागीय क्षतिग्रस्त तेशमोरी बंधी की पुनर्स्थापना एवं मरम्मत कार्य की परियोजना हेतु लेखाशीर्षक 4702-101-04-0421-24 के अन्तर्गत एकमुश्त प्राविधानित बजट की धनराशि में से रु0 37.80 लाख (रु0 सैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित मुख्य अभियन्ता को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्राधिकृत की जाती है :-  
(आकड़े लाख रु में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	अधिकारी का नाम	आवंटित धनराशि
<b>अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)</b>		
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
101-संतही जल		
04-प्रस्थापन योजनाएं		
0421-जनपद आगरा, मिर्जापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र के अन्तर्गत विभिन्न बंधियों की पुनर्स्थापना / सुदृढीकरण की परियोजना	मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला।	37.80
24-बृहत निर्माण कार्य		

(रु0 सैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञाप एवं उपरोक्त शासनादेश दिनांक-12.09.2018 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-1 से 11 तक में अंकित नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

कुशल कुलश्रेष्ठ  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या- जी-519/(1)/आई0बी0/तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उक्त शासनादेश के क्रम में।
4. प्रमुख अभियन्ता, (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (अनुप्रवाह) (अंतिम नियोजन) (यमुना प्रणाली सुदृढीकरण/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0-ओखला को शासनादेश की प्रति सहित। इस तथ्य से प्रेषित है कि आवंटित धनराशि का वार्षिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पैठरफ0-8 पर वार्षिक स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
9. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. अधिसासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
11. प्रशासनिक अधिकारी (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. फट फाईल हेतु।

SEC(11)

मुख्य अभियन्ता  
सिंचाई विभाग  
23/09/18

(हेमन्त कुमार गुप्ता)  
मुख्य अभियन्ता (बजट)  
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

श्री नारायण जी  
23/09/18